25/6/18 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण / प्रतिवादीगण उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है / भ्रमण पर है पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 21/6/18 को पेश हो।

21/6/18 पत्रावली मान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के समक्ष प्रार्थी द्वारा 2018 का कुमार पालन के लिए दी पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी रोहिताश्व पुत्र / पत्रावली व सम्बन्धित रिकार्ड का व प्रार्थी पार्टी / गवाह वकीलान के बहस पर खारिज किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ का मूल रिकार्ड कई अनियमित्तता हो। अतः इसमें अनियमित्तता की जांच / बाद रोहिताश्व के विरुद्ध खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल पुनः पेश किया जावे। वकील अनिल [illegible]

आदेश की नकल जावे

राधेश्याम सैनी

उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official